GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.245
TO BE ANSWERED ON 11TH AUGUST, 2023

RESTARTING PMGKAY

245 DR. SASMIT PATRA:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government is considering restarting Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) and will provide additional 5 kg rice apart from the 5 kg rice provided earlier under National Food Security Act (NFSA);

(b) the reasons for renaming NFSA programme as new PMGKAY instead of restarting the earlier PMGKAY which was discontinued; and

(c) by when would Government restart providing additional 5 kg rice under PMGKAY as it was done since 2020?

A N S W E R
MINISTER OF COMMERCE & INDUSTRY, CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION AND TEXTILES
(SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (c) OF THE STARRED QUESTION NO. *245 FOR ANSWER ON 11.08.2023 IN THE RAJYA SABHA

(a) to (c): The Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) had been launched with the specific purpose of ameliorating the hardships faced by the poor and needy due to economic disruptions caused by the COVID-19 outbreak in the country. The allocation of free foodgrains, under PMGKAY was in addition to normal allocation done under the National Food Security Act (NFSA), 2013. A total quantity of approx. 1118 LMT foodgrains had been allocated under PMGKAY (Phase I-VII) for the period of 28 months with a planned financial outlay of about Rs. 1.13 lakh crores for FY 2020-21, Rs. 1.47 lakh crores for FY 2021-22 and Rs. 1.31 Lakh crores for FY 2022-23.

The National Food Security Act, 2013 (NFSA) being implemented in all the States/UTs, on an all-India basis, aims to supplement the food requirements of upto 75% of the rural and upto 50% of the urban population. While Antyodaya Anna Yojana (AAY) households, which constitute poorest of the poor are entitled to 35 kg of foodgrains, per family per month. Priority Households (PHH) are entitled to 5 kg of foodgrains per person per month at uniform subsidized prices specified in Schedule-I prices of the Act.

The Government has decided to distribute free of cost foodgrains to beneficiaries as per their entitlements for a period of one year from 1st January, 2023 under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) with the approximate expenditure of nearly Rs. 2 lakh crores annually.

*****

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 245

11 अगस्त, 2023 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई को पुनः शुरू किया जाना

***245. डा. सस्मित पात्रा:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को पुनः आरंभ करने पर विचार कर रही है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पूर्व में प्रदान किए जाने वाले 5 किलो चावल के अलावा, 5 किलो अतिरिक्त चावल मुहैया कराएगी;

(ख) बंद कर दिए गए पीएमजीकेएवाई को फिर से शुरू करने के बजाय एनएफएसए कार्यक्रम का नाम बदलकर नई पीएमजीकेएवाई करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार पीएमजीकेएवाई के तहत 5 किलो अतिरिक्त चावल प्रदान करना कब से शुरू करेगी, जैसा कि वर्ष 2020 से किया जा रहा था?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

राज्य सभा में दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *245 (5 वां स्थान) के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): देश में कोविड-19 के प्रसार से उत्पन्न आर्थिक गतिरोध के कारण निर्धन और जरूरतमंद लोगों के समक्ष आ रही मुश्किलों को दूर करने के विशेष प्रयोजन के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) की शुरूआत की गई थी। पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्नों का नि:शुल्क आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत किए गए सामान्य आवंटन के अतिरिक्त था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 1.13 लाख करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए के योजनाबद्ध वित्तीय परिव्यय के साथ 28 माह की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई (चरण I-VII) के तहत कुल लगभग 1118 लाख टन खाद्यान्न की मात्रा आवंटित की गई थी।

75 प्रतिशत तक ग्रामीण और 50 प्रतिशत तक शहरी आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) को अखिल भारत आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवार, जिसमें सबसे निर्धनतम लोग शामिल हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न, इस अधिनियम की मूल्य से संबंधित अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट एक समान सब्सिडीयुक्त मूल्य पर प्राप्त करने के हकदार हैं।

सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए लाभार्थियों को उनकी हकदारी के अनुसार नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित करने का निर्णय लिया है, जिसमें वार्षिक रूप से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है।

******

MR. CHAIRMAN: Dr. Sasmit Patra. ...*(Interruptions)*...

DR. SASMIT PATRA: Sir, Q. No. 245. ...*(Interruptions)*...

साध्वी निरंजन ज्योतिः माननीय सभापति महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Q. No. 246. ...*(Interruptions)*... Shri Jose K. Mani. ...*(Interruptions)*...